

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 347 सन 2019

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र स्व रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनफुल पुत्र मणपत जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. प्रतापसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. लाधुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. रणजीतसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
5. सवित्री पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी-रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
7. कौशल्या पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
8. कमला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पत्नी स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
10. सन्दीप कुमार पुत्र स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
11. गिनु देवी पुत्री स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
12. रज्जु देवी पुत्री स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी धवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :- 29/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 111/112 की कुल 13.4810 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणपतराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम को देहान्त हो चुका है गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि उसके पुत्र मनफुल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई मनफुल के वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है जिसमें से दो पुत्र रामलाल व काशीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 , 9 ता 11 है इसप्रकार गणपतराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो गणपतराम की भूमि विरास्तन /दादालाई होने के कारण पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्री के प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रतिवादी संख्या 9 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 10 की बहन है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 व 11 ,12 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्ध हो चुका है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिग्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के

अपने हक हिस्सा के अनुसार खातेदार काशतकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता गणपतराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ,11 ,12 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9,10 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 111/112 की कुल 13.4810 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणपतराम के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा गणपतराम को देहान्त हो चुका है गणपतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि उसके पुत्र मनफूल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई मनफूल के वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया है जिसमें से दो पुत्र रामलाल व काशीराम का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 , 9 ता 11 है इसप्रकार गणपतराम के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 है जो गणपतराम की भूमि विरास्तन-दादालाई होने के कारण पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 5 की पुत्री के प्रतिवादी संख्या 11 ,12 प्रतिवादी संख्या 9 की पुत्री प्रतिवादी संख्या 10 की बहन है प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 व 11 ,12 की शादी हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो काफी वृद्ध हो चुका है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्वध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्वध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


उपस्थित अधिकारी
बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रायसिहपुरा के खाता संख्या 111/112 की कुल 13.4810 हैब भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा गणपतराम के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि गणपतराम चल्द सरदारा , सरदारा चल्द काना के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा/पडदादा गणपतराम चल्द सरदारा , सरदारा चल्द काना के नाम से दर्ज है वादी के दादा गणपतराम चल्द सरदारा , सरदारा चल्द काना के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ,11 ,12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ,11 ,12 ने स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,9 ,10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर दर्शा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ता 8 ,11 ,12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही गौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 111/112 की कुल 13.4810 हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 वहिव 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जादा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्या दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. कृष्ण कुमार पुत्र स्व रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. मनफुल पुत्र मणपत जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. प्रतापसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. लाधुराम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
4. रणजीतसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
5. सवित्री पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
7. कौशल्या पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
8. कमला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पत्नी स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
10. सन्दीप कुमार पुत्र स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
11. मिनु देवी पुत्री स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
12. रज्जु देवी पुत्री स्व काशीराम जाति जाट निवासी रायसिंहपुरा तहसील नोहर ।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 347 सन 2019 निर्णय दिनांक- 29/09/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा रायसिंहपुरा के खाता संख्या 111/112 की कुल 13.4810 हेक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ब्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)